न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 4916 / 2006 / अलवर

1— श्योदान पुत्र भयराम, जाति जाट, निवासी करबड़, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— मूर्ति मंदिर श्री शिवजी महाराज विराजमान ग्राम करबड़, तहसील कोटकासिम जरिये वाद मित्र (नेक्सट फ्रैण्ड) भीष्म सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह, जाति यादव, निवासी करबड़, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

..... प्रत्यर्थी

2— पन्नाराम पुत्र भयराम

3— रामोवतार पुत्र छोटेलाल

4— श्री चन्द पुत्र भयराम

समस्त जाति जाट, निवासीगण करबड़, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

..... तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री गौरव दवे, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दुनीचन्द, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः— 28.10.2025

1— यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17—7—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी ने अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 685 मिन रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1001

रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम करबड तहसील कोटकासिम में स्थित है। उक्त भूमि अमरसिंह पुत्र आशाराम जाति ब्राहम्ण की कब्जे काश्त व खातेदारी की थी। अमरसिंह खातेदार के अपने जीवनकाल में कोई संतान नहीं होने के कारण उसके उक्त आराजी को अपने समस्त हकूक सहित मूर्ति मन्दिर श्री शिवजी महाराज के हक में दिनांक 27–5–1987 को एक रजिस्टर्ड वसीयत की गई कि उसकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी मूर्ति मंदिर श्री शिवजी महाराज की रहेगी तथा भीष्मसिंह मन्दिर की सेवा पूजा करने के लिए पुजारी नियुक्त करेंगे। अमर सिंह की मृत्यु दिनांक 26–04–1990 को हो जाने तथा विवादित भूमि जरिये वसीयत वादी को प्राप्त होने के कारण वाद डिक्री किया जाकर वादी को उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर उनके उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–9–2003 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने निर्णय व डिकी दिनांक 17–7–2006 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– प्रत्यर्थी संख्या 01 के अलावा शेष प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना मण्डल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा अपीलार्थी तथा तरतीबी प्रत्यर्थीगण के पिता भयराम पुत्र रामदयाल व काशीराम पुत्र हीरानन्द बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार थे और इसी मुताबिक काबिज होकर काश्त करते थे, किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत एवं गैर कानूनी तरीके से हाल खसरा नम्बर 1001 पर अमरसिंह का नाम दर्ज कर दिया, जबकि अमरसिंह का साबिक खसरा नम्बर 685 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। जब अमरसिंह का भूमि में कोई अधिकार नहीं था तो उसे वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी मूर्ति मंदिर के पक्ष में वसीयत करने का कोई हक व अधिकार नहीं था, फिर भी अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील इस आधार पर अस्वीकार की गई कि अपीलार्थी ने सम्वत 2029 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि अपीलार्थी के पूर्वज विवादित आराजी पर सम्वत 2012 से खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व मण्डल ने अपने कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है तथा पूर्व के इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी मंदिर मूर्ति की ओर से पूर्व में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर उक्त विवादित आराजी अपीलार्थी की पुश्तैनी कब्जेकाश्त व खातेदारी की होना कथन किया गया था। वादी का उक्त वाद खारिज हो चुका है तथा वादी द्वारा पुनः उसी आराजी बाबत प्रस्तुत वर्तमान वाद रेसज्यूडिकेटा की

परिभाषा में आने से इसी आधार चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्मन की कोई विधिवत तामिल नहीं कराई गई, ना ही उन्हें समुचित सुनवाई अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया बल्कि एकतरफा में ही वादी का वाद डिक्री कर दिया। अपीलीय न्यायालय को अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पुनः विधिवत सुनवाई किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित करना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–7–2006 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–9–2003 को निरस्त किया जावे।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व से ही अमरसिंह पुत्र आशाराम की कब्जे काश्त व खातेदारी की थी। अमरसिंह के जीवनकाल में कोई संतान नहीं होने के कारण उसने वादग्रस्त आराजी मूर्ति मन्दिर श्री शिवजी महाराज के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 27–5–1987 सम्पादित की गयी जिसके अनुसार अमरसिंह की मृत्यु के बाद विवादित आराजी वादी मूर्ति मंदिर श्री शिवजी महाराज की रहेगी तथा भीष्मसिंह मन्दिर की सेवा पूजा करने के लिए पुजारी नियुक्त होंगे। अपीलार्थी को यदि वसीयत से संबंधित कोई आपत्ति है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है क्योंकि पूर्व वाद का निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही विधिसम्मत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और दोनों ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसमें क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उनके निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।

6– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ–साथ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी के दावे में प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली में बाद तामील प्राप्त नोटिसों के अवलोकन उपरान्त अपीलार्थी की प्रतिवादीगण को विधिवत तामील न होने की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। दावे में प्रत्यर्थी संख्या 4/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक का वकालतनामा भी प्रस्तुत हुआ था लेकिन उसे जवाब दावे हेतु विधिसम्मत अवसर देने उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत न करने पर उसकी जवाब दावा अवस्था बन्द कर दी गई तथा बाद में अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। इस प्रकार अपीलार्थी की तामील तथा सुनवाई का अवसर न मिलने की आपत्ति पुष्ठ नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत विस्तृत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों को गुणावगुण पर विश्लेषित करते हुये दावा डिक्री किया गया है। अमर सिंह विवादित भूमि का खातेदार होने से उसे वादी के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा सम्पादित करने का अधिकार था। प्रतिवादीगण ने उक्त पंजीकृत दस्तावेज के विरूद्ध सिविल न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के विस्तृत विवेचन में भूमि का पूर्व से खातेदार अमर सिंह होना साबित मानते हुये वक्त सेटलमेन्ट सम्वत 2029 उसके पक्ष में गलत इन्द्राज होने का प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का क्लेम सही न होना पाया है। जहां तक द्वितीय अपील में अपीलार्थी द्वारा संवत 2012 में भूमि पर उनके मौरूस का अधिकार दर्ज होने के समर्थन में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी का प्रश्न है, उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी–8 दावे में भी प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें भी अमर सिंह द्वारा ही काश्त का अंकन है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–9 खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 लगायत 2019 में भी अमर सिंह का अधिकार अंकन है। वादी द्वारा पश्चातवर्ती रूप से अमर सिंह का भूमि का रिकॉडेड खातेदार होना भी साबित किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि उनकी अथवा उनके मौरूस की खातेदारी भूमि होने का कथन साबित नहीं है, अतः अपीलार्थी का भूमि उनके स्वत्व की होने का क्लेम निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादी का पूर्व दावा गुणावगुण पर निर्णीत न होकर विड्रा किया जाने से हम अपीलार्थी की रेसज्यूडिकेटा की आपत्ति को स्वीकार योग्य होना नहीं मानते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निश्कर्ष पर आधारित होकर हम इनमें कोई क्षेत्राधिकार निर्वहन, तथ्यपरक अथवा विधि संबंधी त्रुटि होना नहीं मानते हैं, अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज योग्य है।

8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर तथा उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम का निर्णय क्रमशः दिनांक 17–07–2006 तथा दिनांक 15–09–2003 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य